अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये
<u>विलम्ब का कारण</u>

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण **"मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"**

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

m.note

(3)

क्रम-संख्या–66 (ग–5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 अप्रैल, 2020

बैशाख 10, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 428 / ग्यारह-2–9(47)-17–उ०प्र० अधि०-1–2017-आदेश (106)-2020

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

प०आ०–161

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 80 / ग्यारह-2–9(42)-17–उ०प्र० अधि०-1–2017-आदेश (88)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने को लोप किया गया है, अधिक्रमण करके, उक्त नियमावली के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट के सिवाय, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती हैं, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के नियम 48 के उपनियम (4) के निबन्धनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे।

2–यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

129 RPH (Order) order no. 104. 2020 Data 4e

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 428/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1–2017-Order (106)-2020, dated April 30, 2020:

No. 428/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1–2017-Order (106)-2020

Dated Lucknow, April 30, 2020

In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred as said rules), the Governor, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification no. 80/XI-2-9(42)-17-U.P. Act-1–2017-Order (88)-2020 dated January 14, 2020, except as respects things done or *ommitted* to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4a) of rules 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other pescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force with effect from 1st October, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 129 राजपत्र–2020–(269)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 31 सा0 राज्य कर–2020–(270)–3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

129 RPH (Order) order no. 104, 2020 Data 4e